



Previous Year Paper

Rajasthan Mains Paper 2018 PAPER – I [Civil Law]

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Constitution of India

Question No.1

[3 Marks]

Whether the Limitation Act, 1963, applies to the proceedings under Article 32 and 226 of the Constitution of India? Explain in brief.

क्या परिसीमा अधिनियम, 1963, के प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 की कार्यवाहियों पर लागू होते हैं? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।

Question No.2

[3 Marks]

What are "Money Bills" under the Constitution? By which judgment a Constitution Bench of Hon'ble Supreme Court upheld the passing of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 as a Money Bill?

संविधान के अन्तर्गत "धन विधेयक" क्या हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा किस निर्णय में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को एक धन विधेयक के रूप पारित करने को सही माना है?

Question No.9

[3 Marks]

Describe the procedure by which the President of India can issue a proclamation of national emergency.

उस प्रक्रिया का वर्णन कीजिये जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है।

Code of Civil Procedure

Question No.3

[3 Marks]

Define "Pleader" under the Code of Civil Procedure, 1908? Describe the provisions relating to appointment of the Pleader.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत "प्लीडर" से क्या अभिप्रेत है? प्लीडर की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

Question No.4

[3 Marks]

Write a short note on Suits by Indigent Persons. Under what circumstances court shall reject the application for permission to sue as an Indigent Person?

निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद पर लघु टिप्पणी लिखिए। किन दशाओं में निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को न्यायालय नामंजूर करेगा?

Question No.11

[4 Marks]

Distinguish the followings

निम्न को विभेदित कीजिए



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs



- (A) Revision, Review and Reference.
(अ) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन और निर्देश।
(B) Non-Joinder and Mis-Joinder of parties.
(ब) पक्षकारों का असंयोजन एवं कुसंयोजन।

Question No.16

[6 Marks]

Explain the "Settlement of disputes outside the Court", as embodied under Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908. Narrate the guidelines issued in leading judgments of Hon'ble Supreme Court, in this regard.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 में वर्णित "न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा" को स्पष्ट कीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों में इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख कीजिए।

Question No.17

[6 Marks]

Plaintiff "A" institutes a suit for permanent injunction against defendant "B" on 20.02.2002. After filling of Written Statement by the defendant, the court framed the issues and fixed the case for Plaintiff's evidence on 21.07.2005. On 21.07.2005 the plaintiff himself appeared for his evidence but the defendant and his counsel did not appear in the court. On this, the court recorded statement of Plaintiff and closed the defendant's opportunity of cross examination and also passed the order to proceed ex-party against the defendant. The case was fixed for evidence of plaintiff's remaining witnesses for 11.08.2005.

Defendant appeared on 11.08.2005 and filed an application under Order IX Rule 7 CPC with the averments that he could not appear on 21.07.2005 due to marriage in the family and his counsel was busy in other courts, hence, the counsel also could not appear and prayed to allow him to cross examine the plaintiff by setting-aside the ex-party order passed against him.

Plaintiff, in his reply, rebutted all the facts raised in the application and contended that above application was presented with an intention to delay the case.

Write an order on such application with relevant provisions and brief reasons.

वादी "अ" स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद दिनांक 20.02.2002 को प्रतिवादी "ब" के विरुद्ध प्रस्तुत करता है। प्रतिवादी के लिखित कथन प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित कर प्रकरण को वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 21.07.2005 के लिए नियत किया गया। दिनांक 21.07.2005 को वादी स्वयं अपनी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ परन्तु प्रतिवादी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस पर न्यायालय द्वारा वादी का कथन लेखबद्ध कर प्रतिवादी का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर बन्द कर दिया तथा प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का भी आदेश पारित किया। प्रकरण वादी के शेष साक्षियों की साक्ष्य के लिये दिनांक 11.08.2005 हेतु नियत की गई।

दिनांक 11.08.2005 को प्रतिवादी उपस्थित हुआ व एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि दिनांक 21.07.2005 को परिवार में शादी होने के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में व्यस्त थे, अतः वह भी उपस्थित नहीं हो सके, और स्वयं के विरुद्ध पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त कर वादी से प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की।

वादी द्वारा उक्त आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर सभी तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना अभिकथित किया।

सुसंगत प्रावधानों एवं कारणों को संक्षिप्ततः उल्लेखित करते हुए उक्त आवेदन पत्र पर आदेश लिखिए।





Indian Evidence Act

Question No.13

[4 Marks]

"Contents of a document can only be proved by primary evidence", briefly explain the exceptions to this principle.

"दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकता है", संक्षेप में इस सिद्धान्त के अपवादों को स्पष्ट कीजिए।

Question No.21

[10 Marks]

Write short notes on the followings

निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियां लिखिए

- (A) Relevancy of the character of a person in civil cases.
- (अ) सिविल मामलों में किसी व्यक्ति के आचरण की सुसंगतता।
- (B) Relevancy of the opinion as to handwriting.
- (ब) हस्तलेख के बारे में राय की सुसंगतता।
- (C) The idea of "Single Citizenship" under the Constitution of India.
- (स) भारत के संविधान के अंतर्गत "एकल नागरिकता" की अवधारणा।
- (D) Presumption as to documents thirty years old.
- (द) तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।
- (E) Recording of the evidence of a witness unable to speak.
- (य) बोलने में असमर्थ साक्षी की साक्ष्य को लेखबद्ध करना।

Indian Contract Act

Question No.8

[3 Marks]

"X" offered to sell his house to "Y" at the price of Rs. 50 Lacs. "Y" stated that he is ready to purchase the house at Rs. 45 Lacs. "X" refuses to sell. Sometime later "Y" goes to "X" with Rs. 50 Lacs to buy the house.

Whether the offer of "X" for Rs. 50 Lacs is still valid? Explain with reasons.

"एक्स" ने अपने मकान को 50 लाख रुपये में विक्रय करने का प्रस्ताव "वाई" को दिया। "वाई" ने कहा है कि वह मकान को 45 लाख रुपये में क्रय करने के लिये तैयार है। "एक्स" विक्रय से मना कर देता है। कुछ समय बाद "वाई" उक्त मकान क्रय करने के लिये 50 लाख रुपये लेकर "एक्स" के पास जाता है।

क्या "एक्स" का 50 लाख रुपये का प्रस्ताव अभी तक वैध है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No.12

[4 Marks]

Amongst the followings, which contract is specifically enforceable and which is not? Explain with reasons and support of relevant provisions.

निम्नलिखित में से कौनसी संविदा विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तनीय है और कौनसी नहीं है? सुसंगत प्रावधानों के समर्थन से कारण सहित बताइए।

- (A) Contract to marry.
- (अ) विवाह करने की संविदा।
- (B) A contract to execute a mortgage deed.
- (ब) बंधक-विलेख निष्पादित करने की संविदा।
- (C) An agreement to sell the land.
- (स) भूमि को विक्रय करने का करार।
- (D) 'A' & 'B', contract to become partners in a certain business.
- (द) 'अ' तथा 'ब', किसी व्यवसाय में भागीदार बनने की संविदा करते हैं।

Question No.14

[4 Marks]



Scan this
QR Code to
Linking Laws B10s



With appropriate illustrations explain Continuing Guarantee and revocation thereof.
चलत प्रत्याभूति एवं उसके प्रतिसंहरण को उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए।

Specific Relief Act

Question No.7

[3 Marks]

State in brief with statutory provisions and reasons, whether permanent injunction can be granted in following cases?

विधिक प्रावधानों के संदर्भ में कारण सहित संक्षेप में बताइये कि, क्या निम्नलिखित मामलों में स्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है?

- (A) To restrain his/her spouse from second marriage.
- (अ) अपने पति/पत्नी को दूसरा विवाह करने से रोकने के लिये।
- (B) To prevent the breach of a contract, the performance of which is specifically enforceable.
- (ब) ऐसी संविदा के भंग को रोकने के लिये, जो विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तनीय है।

Transfer of Property Act

Question No.5

[3 Marks]

Whether following transactions amount to transfer? Explain in short.

क्या निम्नलिखित संव्यवहार अंतरण की श्रेणी में आते हैं? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।

- (A) Partition.
- (अ) विभाजन।
- (B) Exchange.
- (ब) विनिमय।

Question No.6

[3 Marks]

"A" deposits the title deeds of his property with Bank "X" to secure an overdraft. "A" asks the Bank to return the deeds on the ground that he wants to sell the property and clear the overdraft. The usual practice in such a case was for the prospective buyer to inspect the title deeds in the office of the mortgagee's advocate. But "A" said that he would not get a good price, if the buyer came to know that the Bank had the deeds. The Bank manager returned the deeds to "A". Then "A", borrowed money from another Bank "Y" on the deposit of same title deeds falsely representing that there was no encumbrance.

As between Banks "X" and "Y", who will have the priority to recover the dues from the property? Support your answer with relevant provision of law.

"अ" अपनी सम्पत्ति के हक विलेख "एक्स" बैंक के पास अपने ऋण की प्रतिभूति हेतु जमा करवाता है। "अ" बैंक को विलेखों को इस आधार पर लौटाने हेतु कहता है कि वह अपनी सम्पत्ति को बेचना व अपने ऋण को चुकाना चाहता है। इस प्रकार के मामले में प्रस्तावित क्रेता हेतु सामान्य प्रचलन यह था कि वह बंधकगृहीता के अधिवक्ता के कार्यालय में हक विलेखों का निरीक्षण कर ले। परन्तु "अ" ने कहा कि यदि क्रेता को यह पता चल जायेगा कि उक्त सम्पत्ति के हक विलेख बैंक के पास हैं तो वह अच्छी कीमत प्राप्त नहीं कर पायेगा। बैंक मैनेजर "अ" को विलेख लौटा देता है। इसके पश्चात "अ" दूसरे बैंक "वाई" से इन्हीं हक विलेखों को, मिथ्या रूप से यह दर्शित करते हुए कि इस सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है, जमा करवाकर धन उधार लेता है।

देय राशि की सम्पत्ति से वसूली हेतु "एक्स" और "वाई" बैंक में से कौन प्राथमिकता रखेगा? विधि के सुसंगत प्रावधान से समर्थित करते हुए उत्तर दीजिये।

Question No.10

[3 Marks]

Law favors alienation of property than its accumulation. Discuss.

विधि, सम्पत्ति के संचयन का नहीं उसके अन्य-संक्रमण का पक्ष लेती है। विवेचना कीजिए।





Question No.18

[6 Marks]

Define "Pledge", "Pawnor" and "Pawnee". What are the Pawnee's rights? Discuss elaborately.
"गिरवी", "पणयम्कार" एवं "पणयम्दार" को परिभाषित कीजिए। पणयम्दार के क्या अधिकार हैं। विस्तृत रूप से विवेचित कीजिए।

Interpretation of Statutes

Question No. 20

[6 Marks]

Distinguish between the following

निम्न में विभेद स्पष्ट कीजिए

- (A) Substantial Law and Procedural Law.
- (अ) सारवान विधि एवं प्रक्रियात्मक विधि ।
- (B) Repeal and Amendment.
- (ब) निरसन एवं संशोधन ।
- (C) Judicial Precedents and Legislation.
- (स) न्यायिक पूर्वनिर्णय एवं विधान।

Judgment Writing

Question No.22

[10 Marks]

Write a reasoned judgment on the following facts

Averments in the plaint

On 19.04.2018, the plaintiff instituted a suit against the defendant on the facts that he purchased the suit property through an agreement dated 13.05.2000 and he is in continuous possession since then and he constructed a room thereupon. According to the plaintiff, he is in settled possession over the suit property. On 15.01.2001, plaintiff filed an application for regularization of his land, in prescribed form enclosing site plan and necessary documents before defendant Municipality, in accordance with the circular of State Government and deposited a cheque No. 05560671 amounting Rs. 50250/- on the basis of self determination. On 25.03.2018, the officers of the defendant came on the suit property and started demolishing the boundary wall and construction. On the protest of plaintiff, they returned back telling that the suit property is of the ownership of defendant and they will dispossess him, for which defendant has no right. At the end plaintiff prayed to issue permanent injunction in his favor and against the defendant not to demolish the construction and boundary wall of the suit property, not to dispossess him and not to do so through their agent or servant etc. If, during the pendency of the suit, plaintiff would be dispossess from suit property than the same be restored and order to the defendant to regularize the suit property in favor of plaintiff.

Averments in the Written Statement

The possession of the plaintiff over the suit property is not legally valid. Presently, the nature of the suit property is of agriculture land, which has not been regularized. The construction was not constructed with the permission of the defendant. The defendant did not order to deposit the amount for regularization. Presently, the suit property is shown in the name of defendant in the Jamabandi. Plaintiff is a trespasser. The construction is illegal. Plaintiff is not having settled possession. Hence, defendant has every right to remove the construction work and to evict the plaintiff from the suit property. At the end, defendant prayed to dismiss the suit with cost.

निम्नलिखित तथ्यों पर एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये:

वाद के अभिवचन






Linking Laws

Link Life with Law



: 773 774 6465

www.LinkingLaws.com



Comprehension Detail All State Judiciary Exam






Scan this QR Code to
Enrol the Linking Course

**Click the state which you want to get all information
related judiciary exams.**



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs

 **Linking Laws**

 Linking Laws Tansukh Sir
 www.LinkingLaws.com
 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide
AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



दिनांक 19.04.2018 को वादी ने एक वाद प्रतिवादी के विरुद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उसने वादग्रस्त सम्पत्ति को अनुबंध दिनांक 13.05.2000 के द्वारा क्रय किया और तब से ही उसका निरन्तर आधिपत्य है और उसने वहां पर एक कमरे का निर्माण भी करवा रखा है। वादी के अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति पर उसका स्थापित आधिपत्य है। दिनांक 15.01.2001 को वादी ने प्रतिवादी-नगरपालिका के समक्ष नक्शा व आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए उक्त भूमि के नियमन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र के अनुरूप, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और स्वनिर्धारण के आधार पर एक चैक संख्या 05560671 रुपये 50250/- का जमा करावाया। दिनांक 25.03.2018 को प्रतिवादी के अधिकारीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर आये और चारदीवारी व निर्माण को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया। वादी के विरोध करने पर वे यह कहते हुए वापिस चले गये कि यह भूमि प्रतिवादी के स्वामित्व की है और वे उसे बेदखल करके रहेंगे। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में वादी ने स्वयं के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निशेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की कि प्रतिवादी उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त सम्पत्ति पर से निर्माण कार्य एवं चारदीवारी को ध्वस्त नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे और न ही अपने किसी एजेंट नौकर आदि से करवाये एवं यदि वाद के लम्बन काल के दौरान वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो वादी को पुनः आधिपत्य दिलवाया जाये एवं प्रतिवादी को आदेशित किया जाये कि वह वादी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति का नियमन करे।

लिखित कथन के अभिवचन

वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी का आधिपत्य विधितः वैध नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त सम्पत्ति की प्रकृति कृषि भूमि की है जिसका नियमन नहीं किया गया है। निर्माण कार्य प्रतिवादी की अनुमति से नहीं कराया गया है। प्रतिवादी ने नियमन हेतु राशि जमा करवाने का आदेश नहीं किया था। वर्तमान में जमाबन्दी में वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी के नाम दर्शित है। वादी अतिक्रमी है। निर्माण अवैध है। वादी का स्थापित आधिपत्य नहीं है। अतः प्रतिवादी के पास निर्माण कार्य को हटाने व वादी को विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेदखल करने का प्रत्येक अधिकार है। अन्त में प्रतिवादी द्वारा वाद को खर्चे सहित खारिज करने की प्रार्थना की गई।

Rajasthan Rent Control Act

Question No.15

[4 Marks]

Which are the modes of execution of orders under the Rajasthan Rent Control Act, 2001?
राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत आदेशों के निष्पादन की कौनसी रीतियां हैं?

Question No.19

[6 Marks]

What is the meaning of tenant under the Rajasthan Rent Control Act, 2001, and what is the procedure for eviction of a tenant?

प्रश्न संख्या 19 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किरायेदार से क्या अभिप्रेत है, एवं किरायेदार की बेदखली की क्या प्रक्रिया है?





PAPER - II [Criminal Law]

Note: Attempt all questions. Marks of each question are mentioned against the question.

नोट: समस्त प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके समक्ष अंकित किये गये हैं।

Indian Penal Code

Question No.1

[03 Marks]

Dinesh, a Hindu Indian Citizen, whose wife and daughter reside in India, goes to Australia for business and after obtaining citizenship of Australia, marries an Australian woman. Whether Dinesh can be prosecuted for bigamy on returning India, by his first wife? Explain with relevant provisions of law. प्रश्न संख्या 1

दिनेश, एक हिन्दू भारतीय नागरिक, जिसकी पत्नी व पुत्री भारत में रहते हैं, व्यापार हेतु आस्ट्रेलिया जाता है तथा वहां की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एक आस्ट्रेलियन महिला से विवाह कर लेता है। क्या दिनेश को भारत वापसी पर उसकी प्रथम पत्नी द्वारा द्विविवाह हेतु अभियोजित किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिये।

Question No.2

[03 Marks]

Babli, the girl friend of Bunti, gifts her father's laptop to Bunti. Bunti knows that it is her father's laptop. Bunti, without trying to know, whether Babli's father has authorized her or not, takes away the above laptop.

Have, Babli and Bunti committed any offence? Explain with relevant provisions of law.

बंटी की गर्ल फ्रेंड बबली, अपने पिता का लेपटॉप बंटी को गिफ्ट कर देती है। बंटी को उक्त लेपटॉप का उसके पिता का होना ज्ञात है। बंटी, बिना यह जानने का प्रयास किये कि बबली को उसके पिता ने प्राधिकृत किया है या नहीं, उक्त लेपटॉप लेकर चला जाता है। क्या बबली व बंटी द्वारा कोई अपराध किया गया है? विधि के सम्बन्धित प्रावधानों सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No.3

[03 Marks]

15 years old Chintoo, on being failed in examination, became upset and frustrated by the admonition of his father, calls and takes advice from his maternal uncle Ganesh, who carries business in Bombay. Ganesh asks Chintoo that "you come to me, I will make your life." On this, Chintoo, without telling his father, secretly, goes away to Bombay and starts living with Ganesh. Explain with reasons regarding criminal liability of Ganesh.

15 वर्षीय चिंटू परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिता की डांट से परेशान व निराश होकर अपने मामा गणेश, जो कि बम्बई में व्यापार करता है, से फोन कर सलाह लेता है। गणेश चिंटू को कहता है कि "तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी लाईफ बना दूंगा।" जिस पर चिंटू अपने पिता को बिना बताये चुपचाप बम्बई चला जाता है और गणेश के साथ रहने लगता है। गणेश के आपराधिक दायित्व के सन्दर्भ में, कारण सहित स्पष्ट करें।

Question No.16

[06 Marks]

Distinguish the followings-

निम्न को विभेदित कीजिए-

- (A) Abetment and Criminal Conspiracy.
- (अ) दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड़यंत्र।
- (B) Common Intention and Common Object.
- (ब) सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य।
- (C) Summon Trial and Warrant Trial.
- (स) समन विचारण एवं वारंट विचारण।



Scan this
QR Code to
[Linking Laws BLOs](#)



Question No.20

[06 Marks]

What is "culpable homicide"? When does it amount to murder and when doesn't? Explicate, comprehensively.

"आपराधिक मानव वध" क्या है? यह कब हत्या की श्रेणी में आता है व कब नहीं? विस्तृत रूप से व्याख्या करें।

Criminal Procedure Code

Question No.4

[03 Marks]

"A", who is on bail from High court in a trial for the offence of murder, remains absent without sufficient cause in the trial and does not appear even after issuance of proclamation of the court. What proceedings can be initiated against the accused by the trial court, in such situation?

"ए" जो कि हत्या के अपराध के विचारण में उच्च न्यायालय से जमानत पर है, विचारण में बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थित हो जाता है एवं न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के बाद भी उपस्थित नहीं होता है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाहियां की जा सकती हैं।

Question No.5

[03 Marks]

A letter in the custody of a Postal Authority, is required to an officer-in-charge of a police station, as an important piece of evidence during investigation of a serious case. The officer-in-charge of the concerned Police Station directs the Postal Authority to deliver him the above letter. Write a short note regarding the legality of such order.

एक गंभीर मामले के अन्वेषण में थाने के भारसाधक अधिकारी को डाक प्राधिकारी की अभिरक्षाधीन एक पत्र की महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आवश्यकता है। सम्बन्धित थाने का भारसाधक अधिकारी डाक प्राधिकारी को उक्त पत्र उसे परिदान करने का निदेश देता है। उक्त आदेश की विधिमन्यता के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Question No.6

[03 Marks]

In a trial, Ramesh is charged for the offence of Robbery. On completion of trial, no sufficient evidence is found to convict him for the offence of Robbery. However, there is sufficient evidence exist to prove the offence of theft beyond reasonable doubt. In such condition, what order can be passed by the court? Explain with support of relevant provision.

रमेश को विचारण के दौरान लूट के अपराध का आरोप सुनाया जाता है। विचारण पूर्ण होने पर लूट के अपराध के लिये उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान होना नहीं पाई जाती है, हालांकि चोरी का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित किया जा सकता है? सुसंगत प्रावधान के समर्थन से स्पष्ट कीजिए।

Question No.11

[04 Marks]

What procedure shall be adopted by an investigating officer of police station Chandigarh to examine a person residing in Dubai, as a witness? Explain, mentioning appropriate legal provision.

पुलिस थाना, चंडीगढ़ के किसी अन्वेषण अधिकारी द्वारा दुबई में रह रहे किसी व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? उचित विधिक प्रावधान अंकित कर स्पष्ट करें।

Question No.12

[04 Marks]

Whether an accused of non-bailable offence, can be released on bail by the officer-in-charge of a Police Station? Explain with relevant provision of law.

क्या थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट कीजिए।

Question No.17

[06 Marks]



Scan this
QR Code to
Linking Laws BLOs



What is the provision relating to examination of an accused of rape by medical practitioner? Whether, such examination amounts to violation of legal right of not being compelled to be a witness against himself? Explain in the light of leading judgments of Hon'ble Supreme Court.

बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी से परीक्षा करवाने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है? क्या ऐसी परीक्षा स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने को विवश नहीं किये जाने के विधिक अधिकार का उल्लंघन है? माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए।

Indian Evidence Act

Question No. 7

[03 Marks]

"A" requests "B" to loan him a sum of Rs. 10,000/-. "B" refuses, upon which, "A" stabs "B". In the trial of above offence, whether this fact is relevant that "earlier also in same manner "B" had deadly assaulted the persons who denied for lending money". Explain in brief, narrating the relevant provision.

"ए" "बी" से 10,000 रुपये उधार देने की प्रार्थना करता है। "बी" मना कर देता है, जिस पर "ए" "बी" को चाकू मार देता है। उक्त अपराध के विचारण में क्या यह तथ्य सुसंगत है कि "पूर्व में भी रुपये उधार देने से मना करने वालों पर "बी" ने इसी प्रकार जानलेवा हमला किया था।" सुसंगत प्रावधान को उल्लेखित कर संक्षिप्त में स्पष्ट करें।

Question No.8

[03 Marks]

During the investigation of a rape case, statement of a person is recorded under section 164 Cr.P.C. in the court by a Magistrate "M". During trial, prosecution produces "M" as a prosecution witness before the special court and asks him to disclose the procedure of recording of such statement. Whether "M" can be compelled to disclose the above procedure? Explain in the light of relevant provision of law.

बलात्कार के एक प्रकरण में अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट "एम" द्वारा एक व्यक्ति के कथन धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में लेखबद्ध किये जाते हैं। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष विशिष्ट न्यायालय में "एम" को अभियोजन साक्षी के रूप में पेश करता है व उससे उक्त कथन लेखबद्ध करने की प्रक्रिया को प्रकट करने को कहता है। क्या "एम" को उक्त प्रक्रिया प्रकट करने को विवश किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान सहित स्पष्ट करें।

Question No.9

[03 Marks]

"A" tells his wife "B" that "today, I have killed our daughter "C" by strangulation." Whether, "B" can be compelled to disclose above statement in A's prosecution for murder of "C"? Explain briefly in the light of relevant provision of law.

"ए" अपनी पत्नी "बी" को कहता है कि "मैंने आज अपनी बेटी "सी" की गला दबाकर हत्या कर दी है।" क्या "सी" की हत्या के "ए" के अभियोजन में "बी" को उक्त कथन न्यायालय में प्रकट करने को विवश किया जा सकता है? विधि के सुसंगत प्रावधान के प्रकाश में संक्षिप्त में स्पष्ट करें।

Question No.15

[04 Marks]

Ramesh is arrested by the police for the allegation of the murder of Mohan. He is taken to Doctor for medical examination. Doctor takes him in the cabin for examination and Police officer remains seated outside. Only Ramesh and Doctor are present inside the examination room. Ramesh tells the Doctor that he has shot Mohan and in the like manner, year earlier also, he had shot Hari with the same revolver, which he has thrown into a canal.

Whether the above statement of Ramesh is admissible in evidence as confession? Discuss.

रमेश को मोहन की हत्या के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसे चिकित्सकीय परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास ले जाया जाता है। चिकित्सक उसको परीक्षण हेतु कक्ष में ले जाता है तथा पुलिस अधिकारी बाहर बैठा रहता है। परीक्षण कक्ष में केवल





रमेश व चिकित्सक ही मौजूद रहते हैं। रमेश चिकित्सक से कहता है कि उसने मोहन की गोली मारकर हत्या की है व इसी प्रकार एक वर्ष पूर्व भी उसने हरी की उसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या की थी, जिसे उसने एक नहर में फेंक दिया है। क्या रमेश का उपरोक्त कथन संस्वीकृति के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य है? विवेचना कीजिए।

Question No.18

[06 Marks]

Explicate the followings-

निम्न को समझाइए-

- (A) May presume.
- (अ) उपधारणा कर सकेगा।
- (B) Shall presume.
- (ब) उपधारणा करेगा।
- (C) Conclusive proof.
- (स). निश्चयक सबूत।

Juvenile Justice Act

Question No.14

[04 Marks]

What steps shall be taken by the Juvenile Justice Board at the time of initiation of inquiry, to ensure fair and speedy inquiry of a child in conflict with law?

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ करने के समय किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ऋजु एवं त्वरित जांच सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

The Protection of Women from Domestic Violence Act

Question No.10.

[03 Marks]

What is the meaning of "Economic Abuse", under The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, के अंतर्गत "आर्थिक दुर्व्यवहार" से क्या अभिप्राय है?

Negotiable Instruments Act

Question No. 19

[06 Marks]

To constitute an offence under Section 138 Negotiable Instruments Act, 1881, which are the mandatory conditions precedent of time limits and what are the provisions relating to interim compensation? Explain.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अपराध के गठन के लिये समय सीमाओं की आज्ञापक पूर्व शर्तें कौनसी हैं एवं अंतरिम क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं? स्पष्ट कीजिए।

Probation of Offenders Act

Question No.13

[04 Marks]

Describe the legal position in respect of variation of conditions of the bond executed under section 4 of the Probation of Offenders Act, 1959.

अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अन्तर्गत निष्पादित किये गये बन्धपत्र की शर्तों में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित विधि की स्थिति उल्लेखित कीजिए।

Judgment Writing

Question No.21

[10 Marks]

Ramlal Lohar is expert in making keys and Ravi is a Computer expert. In mid night of 26.04.2018, Iqbal, Harish, Jaggu and Jeetu pointed a country made pistol at Ramlal & Ravi and



Scan this
QR Code to
[Linking Laws BLOs](#)



threatened them to come with them or else they would be killed. Both, under fear, go with them and as per direction of miscreants, Ravi deactivates the security system of Vikram Jewelers and Ramlal opens the lock. The miscreants remove and take away all the jewelry articles of Vikram Jewelers. Police starts investigation on the report of Vikram Soni, the owner of Vikram Jewelers; obtains Footage of CCTV installed at the show room, from the owner and pursuant to informations given by the four miscreants in police custody, jewelry taken away from Vikram Jewelers was recovered from their houses.

After completion of investigation, four miscreants are prosecuted for main offence and Ramlal & Ravi are prosecuted to active role to aid the above offence.

During trial, prosecution gets examined Vikram Soni to prove the facts as to the CCTV Footage, deactivation of the computer system and identification of jewelry etc. Besides, independent witnesses of seizure of jewelry, investigating officer and other important witnesses are also examined. All the witnesses support the prosecution story.

During examination of accused by court, all the four miscreants stated the case as false. Whereas, accused Ramlal and Ravi stated to commit the alleged act without any intention, due to fear of death. No witness is produced by any of the accused, in their defence.

Write a judgment by mentioning the relevant provisions of law.

रामलाल लौहार चाबियां बनाने में माहिर है तथा रवि कम्प्यूटर में महारथ रखता है। इकबाल, हरीश, जग्गू एवं जीतू दिनांक 26.04.2018 को मध्य रात्रि में रामलाल व रवि के सिर पर देशी कट्टा तानकर कहते हैं कि उनके साथ चलो वरना जान से मार देंगे। दोनों भयवश उनके साथ चले जाते हैं तथा रवि चारों बदमाशों के कहे अनुसार विक्रम ज्वैलर्स के सिक्योरिटी सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है व रामलाल ताला खोल देता है। बदमाश विक्रम ज्वैलर्स का सारा माल लेकर भाग जाते हैं। विक्रम ज्वैलर्स के मालिक विक्रम सोनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अन्वेषण शुरू किया व मालिक से शोरूम पर लगे सीसी टीवी की फुटेज प्राप्त की व चारों बदमाशों की पुलिस अभिरक्षा में दी गई सूचना पर उनके घरों से विक्रम ज्वैलर्स से ले जाये गये आभूषण बरामद किये गये।

अन्वेषण के बाद चारों बदमाशों को मुख्य अपराध के लिये तथा रामलाल व रवि को उक्त अपराध में सक्रिय सहयोग करने के लिये अभियोजित किया जाता है।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सीसी टीवी फुटेज, कम्प्यूटर सिस्टम निष्क्रिय करने व आभूषण की पहचान करने आदि के तथ्यों को साबित करने हेतु विक्रम सोनी को परीक्षित करवाया है। इसके अतिरिक्त आभूषण जब्ती के स्वतन्त्र साक्षीगण, अन्वेषण अधिकारी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण को भी परीक्षित करवाया है। सभी साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है।

न्यायालय द्वारा किये गये परीक्षण में चारों बदमाश अभियुक्तगण ने मामले को झूठा बताया है। जबकि अभियुक्तगण रामलाल व रवि ने मृत्यु के भय से बिना आशय उक्त कृत्य करने का कथन किया है। सभी अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्षी पेश नहीं किया है।

विधि के सुसंगत प्रावधान अंकित कर निर्णय लिखिए।

Question No.22

[10 Marks]

On 30.06.2019 at 2 pm Anil, Madan and Suresh were returning from college on a Motorcycle. Suddenly, a car bearing number DJ-20-CA-1285 at great speed driven by Naeem Khan, came from the opposite direction and hit the Motor Cycle. Resultantly, both the pillion riders along with rider Madan singh fell down. The Car driver ran away from the spot. Anil died on the spot and Madan got his left leg fractured and Suresh got multiple abrasions. Police started investigation on the report of Suresh and after completion of investigation filed charge sheet against Naeem Khan in the competent court.

Apart from Suresh and Madan, the Medical Jurist Dr. Ravi, who conducted postmortem and examined the injured, Head Constable Karan Singh, who conducted mechanical Inspection of the car and motorcycle, investigating officer Dharmveer Sub-Inspector were examined as prosecution witnesses. All the witnesses supported the prosecution story.





Accused claimed himself to be innocent and alleged that he was not driving the car at the time of said accident and he had falsely been implicated by the police on the basis of mere suspicion.

Write a logical judgment on the basis of the given facts.

दिनांक 30.06.2019 को दोपहर 2 बजे, अनिल, मदन व सुरेश एक मोटरसाईकिल पर कॉलेज से लौट रहे थे। अचानक विपरीत दिशा से एक कार नम्बर डीजे-20-सीए-1285 का चालक नईम खान तेज गति से आया व मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। परिणामतः, मोटरसाईकिल चालक मदन सिंह सहित दोनों पीछे बैठे व्यक्ति सड़क पर गिर गये। कार चालक मौके से भाग गया। दुर्घटना में अनिल की मौके पर ही मृत्यु हो गई व मदन के बायें पैर में अस्थि भंग हुआ व सुरेश के शरीर पर खरोंचे आई। सुरेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने अन्वेषण प्रारम्भ किया तथा अन्वेषण के पश्चात् नईम खान के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

अभियोजन साक्ष्य में गवाह सुरेश व मदन के अलावा शव परीक्षण व आहतों का परीक्षण करने वाला चिकित्सक डा. रवि, कार व मोटरसाईकिल का यान्त्रिक परीक्षण करने वाला मुख्य आरक्षी कर्ण सिंह व अन्वेषणकर्ता धर्मवीर पुलिस उपनिरीक्षक को प्रस्तुत किया गया। इन सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की।

अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए जाहिर किया कि वह कथित दुर्घटना के वक्त कार नहीं चला रहा था तथा मात्र संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक तर्कसंगत निर्णय लिखिये।





PAPER – III [ENGLISH]

NOTE:- Attempt all the questions. Question No. 1 carries 20 marks and question no.2 and 3 carry 15 marks each.

Question No. 1 (20 Marks)

Write an essay on any one of the following in about 500 words.

- (A) Sexual Harassment - The Hidden Truth.
- (B) Female Foeticide - A Cultural Blemish.

Question No. 2 (15 Marks)

Write an essay on any one of the following in about 400 words.

- (A) Need for Electoral Reforms in India.
- (B) Decentralisation of Power in India.

Question No.3 (15 Marks)

Write an essay on any one of the following in about 400 words.

- (A) Joy of Reading.
- (B) Generation Gap

PAPER – IV [HINDI]

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 हेतु 20 अंक तथा प्रश्न संख्या 2 व 3 प्रत्येक हेतु 15 अंक निर्धारित हैं।

प्रश्न संख्या 1 (20 अंक)

निम्न में से किसी एक पर अधिकतम 600 शब्दों में निबन्ध लिखिए-

- (अ) भारतीय सिनेमा संगीत का बदलता स्वरूप।
- (ब) मोबाईल फोन - आविष्कार या अभिशाप।

प्रश्न संख्या 2 (15 अंक)

निम्न में से किसी एक पर अधिकतम 450 शब्दों में निबन्ध लिखिए-

- (अ) भारी जनादेश की स्वस्थ लोकतन्त्र में उपादेयता।
- (ब) भारत में सुशासन में न्यायपालिका का योगदान।

प्रश्न संख्या 3 (15 अंक)

निम्न में से किसी एक पर अधिकतम 450 शब्दों में निबन्ध लिखिए-

- (अ) राजस्थान की स्थापत्य विरासत।
- (ब) अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के बढ़ते कदम।

